बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक– 03/02/26

संख्या–1/स्था0 (2) 03/ 2025– 582 /वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–7566, दिनांक–14.07.2010 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक–28.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार मत्स्य सेवा के पदाधिकारियों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन बैण्ड–3, ग्रेड वेतन रू0 6600/– में सूची के स्तम्भ–3 में अंकित तिथि से प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाती है:–

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रथम एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि
1	2	3
1	श्री पवन कुमार पासवान, उप मत्स्य निदेशक (रा0प0ई0), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।	18.08.2015
2	मो0 राशिद फारूकी, उप मत्स्य निदेशक (मु0), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।	17.08.2015

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जीतेन्द्र कुमार मिश्रा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1 / स्था0 (2) 03 / 2025– 583 / पटना–15, दिनांक– 03/02/26

प्रतिलिपिः–ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संगत सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1 / स्था0 (2) 03 / 2025– 583 / पटना–15, दिनांक– 03/02/26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1 / स्था0 (2) 03 / 2025– 583 / पटना–15, दिनांक– 03/02/26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1 / स्था0 (2) 03 / 2025– 583 / पटना–15, दिनांक– 03/02/26

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना / संबंधित संयुक्त मत्स्य निदेशक / श्री पवन कुमार पासवान, उप मत्स्य निदेशक (रा0प0ई0), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना / मो0 राशिद फारूकी, उप मत्स्य निदेशक (मु0), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना / विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।